न सरकार

-6) विभाग

क्रमांक: प.6(44)राज-6/2001/15 जयपुर, दिनांक: 4.5.02

समस्त संभागीय आयुक्त ।

समस्त जिला कलेक्टर ।

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.6(44)राज-6/2001/22 दि0 6.12.2001 के अन्तर्गत गैर मुमकिन एवं सिवायचक भूमियों पर कृषि हेतु किए गए अतिक्रमणों के नियमन के संबंध में " अतिक्रमण के अभिलेख के बाबत" राज्य सरकार द्वारा लगातार कब्जे हेतु कतिपय साक्ष्यों को मान्यता दिए जाने बाबत निर्देश दिए गए थे । इन निर्देशों में चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण के नियमन के संबंध में कोई आदेश शामिल नहीं थे ।

इस विभाग के परिपत्र/आदेश क्रमांक प.6(21)राज-4/33/5 दि0 2.2.33 के अन्तर्गत चरागाह भूमि पर दि0 1.1.70 से पूर्व के अतिक्रमण के नियमन किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे । अतः 31.12.69 तक चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण, परिपत्र दि0 2.2.33 के अन्तर्गत निहित निर्देशों को ध्यान में रखकर नियमन किए जा सकते हैं । चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमणों के नियमन के संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लगातार कब्जे हेतु निम्न साक्ष्य पर्याप्त होंगे :-

1. 1.1.70 से पूर्व का कब्जा रिकार्ड से प्रमाणित होना चाहिए ।
2. आज का कब्जा भी प्रमाणित होना चाहिए जो कम से कम गत दो वर्ष से लगातार का हो ।
3. बीच के वर्षों में लगातार कब्जे के संबंध में जिन वर्षों का कब्जा रिकार्ड में दर्ज नहीं है तो कारण लिखते हुए कब्जे की पुष्टि हेतु तस्दीक शुदा शपथ-पत्र आदि लिए जा सकेंगे । किन्तु ऐसे शपथ-पत्र 31.2.69 से आज तक की अवधि के बीच के कुल 10 वर्ष तक की अवधि के लिए ही मान्य होंगे ।
4. यदि मूल कब्जाधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नियमितिकरण किया जावे । इनके संयुक्त खातेदारी दर्ज होगी ।
5. अगर किसी वर्ष पिता ने अतिक्रमण किया तथा उसका नाम अतिक्रमी के रूप में रिकार्ड है तथा बीच के वर्षों में पिता के जीवितकाल में उसके बेटे आदि ने अतिक्रमण किया है तो, उसे अतिक्रमी के परिवार का ही अतिक्रमण मानते हुए मूल कब्जाधारी या बिन्दु संख्या 4 के अनुसार कार्यवाही करली जावे ।

(जी0 एस0 संधू)
राजस्व सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, राजस्व मंत्री महोदया 2. निजी सचिव, राजस्व सचिव ।

शासन उप सचिव